1

2. राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयः–

(क) सीटों की संख्याः– पहली कक्षा में प्रत्येक सैक्शन में अधिकतम छात्र संख्या 30 है तथा केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को ही इस कक्षा में दाखिला मिलेगा। गत वर्ष की भांति इन विद्यालयों में **कक्षा पहली में हिन्दी माध्यम का सैक्शन नहीं होगा।** सीटों की संख्या विद्यालय में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं, अध्यापकों की संख्या तथा CBSE Norms के अनुसार ही तय की जाए।

(ख) सैक्शन की संख्याः– सभी कक्षाओं में सैक्शन्स (अनुभागों) की संख्या सम्बन्धित SMC द्वारा विद्यालय में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं के मध्यनजर निर्धारित की जाएगी तथा ड्रा के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ग) दाखिला प्रक्रियाः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत आरक्षण भी दिया जाना है जो निम्नानुसार हैः–

Sr. No.	Category of Candidate in 12 (1)(C)	Seat Reserve (25%)	**No. of Seats**
1.	SC		03
2.	BC 'A'		02
3.	BC 'B'		01
a.	CWSN (दिव्यांग) अनाथ बच्चे/HIV प्रभावित बच्चे		02

3. **विद्यालय विकास निधि (VVN):-** इसके तहत पंजीकरण अंशदान केवल एक बार लिया जाना है। गत वर्षों से दाखिल विद्यार्थियों से किसी तरह का पंजीकरण अंशदान नहीं लिया जाएगा। विद्यालय विकास निधि का कक्षावार मासिक अंशदान निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	**विषय**	**राशि**	**कक्षा**
1.	**एक मुश्त पंजीकरण अंशदान** (VVN) (One time admission contribution)	500/–	1 से 5
		1000/–	6 से 12
2.	**मासिक अंशदान** (VVN) (Monthly contribution)	200/–	1 से 3
		250/–	4 से 5
		300/–	6 से 8
		400/–	9 से 10
		500/–	11 से 12

नोटः– **1. विद्यालय में नए दाखिले हेतु ही एकमुश्त पंजीकरण अंशदान लिया जाना है।**
2. पूर्व में जारी निर्देशानुसार एक लाख अस्सी हजार से कम वार्षिक आय वाले तथा दिव्यांग विद्यार्थियों से उपरोक्तानुसार विद्यालय विकास निधि नहीं ली जानी है।

4. **विद्यालय विकास निधि के खर्च के सन्दर्भ में:–** विद्यालय विकास निधि का उपयोग विद्यालय के विकास हेतु किया जाना है। CBSE Affiliation के सन्दर्भ में किये जाने वाले खर्च SMC के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. **विभाग के पत्र क्रमांक** KW 20/1-2016 ACD (4) दिनांक 21.03.2024 के मध्यनजर विद्यालयों को दोहरी पारी में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

6. **विद्यालयों में विद्यार्थियों** को कक्षा कक्ष में ही बिठाया जाना है, One Classroom One Teacher व्यवस्था लागू की जानी है। अतः छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार ही कमरे निर्धारित किये जाएं।

7. **प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 'बालवाटिका कक्षा'** को आरम्भ करना अनिवार्य है, इसके लिए नामांकन किया जाए। बालवाटिका में अभी फीस नहीं ली जानी है। बालवाटिका में बच्चों के सैक्शन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, अतः इस कक्षा में ज्यादा से ज्यादा नामांकन किया जाए।

8. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :
1. जन्म का प्रमाण पत्र - अस्पताल/दाई का रजिस्टर अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख, माता-पिता अथवा संरक्षक का आयु के लिए शपथ पत्र।